

## भारत का राजपत्र

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19022024-252228

असाधारण

भाग II - खण्ड 3 - उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

[सं. 739]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 19, 2024/माघ 30, 1945

## रेल मंत्रालय

(उत्तर रेलवे) (निर्माण संगठन)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2024

का.आ. 775(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-3, उपखंड (ii) तारीख 20 अक्टूबर, 2023 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ.4645(अ), तारीख 20 अक्टूबर, 2023 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या जिले में प्रस्तावित बारावंकी-अकबरपुर (161 किमी) दोहरी लाईन विशेष रेलवे परियोजना के लिए दर्शननगर स्टेशन के समीप गुड्स यार्ड के निर्माण के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों, अर्थात् "अमर उजाला" (हिन्दी) तथा "हिन्दुस्तान टाइम्स" (अंग्रेजी), 28 नवम्बर, 2023 में प्रकाशित किया गया था, जिसके अन्तर्गत कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं।

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में, अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को सौंप दी है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है। कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

यह और कि, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

## अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या जिले में प्रस्तावित दर्शन नगर रेलवे स्टेशन के पास गुड्स यार्ड के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली अर्जनाधीन भूमि की संरचना सहित या संरचना रहित संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	सम्पूर्ण/आंशिक	प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि के मालिक/हितबद्ध व्यक्ति का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अयोध्या	सदर	(1) कुशमाहा	430	निजी	अकृषिक	आंशिक	0.0925	रूषा तिवारी पत्नी गिरीश कुमार नि. मोहतारिम नगर
							योग	0.0925	
			(2) कुढ़ाकेशवपुर उपर	892	सरकारी	गैरकृषि	आंशिक	0.2950	सड़क
				893	निजी	कृषि	सम्पूर्ण	0.0760	वंशराज, राममित्र, रामचन्द्र पुत्रगण हजारी
				894	सरकारी	गैरकृषि	सम्पूर्ण	0.5540	तालाब
							योग	0.9250	
							कुल योग	1.0175	

[फा. सं. 190-W/Land/Misc/Ayodhya]

579/2024

एस. के. सपरा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण-II